रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2010/माघ 21, 1931

No. 286] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2010/MAGHA 21, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2010

का.आ. 334(अ).—यत:, मै. जेन्सा इन्डिया एसईजेड डेवलपमेन्ट प्रा. लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य के जी-2, सिपकॉट सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सिरूसेरी गाँव एगातुर, जिला कानचीपूरम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र एक विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया है;

और, यत:, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने तमिलनाडु राज्य के जी-2, सिपकॉट सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सिरूसेरी गाँव एगातुर, जिला कानचीपूरम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं हेतु विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

और यत: केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं हेतु विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु जेन्सा इन्डिया लिमिटेड का नाम बदलकर जेन्सा इन्डिया एसईजेड डेवलपमेन्ट प्रा. लिमिटेड किए जाने के बारे में दिनांक 2 फरवरी, 2009 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है;

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 13 की उप-धारा (1), धारा 53 की उप-धारा (2) तथा धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में :—

(i) केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	सिरूसेरी गाँव एगातुर	75 (भाग)	2.71
2.		76 (भाग)	7.31
		कुल	10.02

(ii) केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति भी गठित करती है, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
3. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक —सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला सीमा-शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त या उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन

5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	—सदस्य, पदेन
7.	तमिलनाडु सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
8.	मै. जेन्सा इन्डिया एसईजेड डेवलपमेन्ट प्रा. लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि	—विशेष आमंत्रिती

(iii) केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/पत्तन माना जाएगा ।

[फा. सं. एफ.-2/75/2005-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2010

S.O. 334(E).—Whereas, M/s. Xansa India SEZ Development Private Limited, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology/Information Technology Enabled Services sector at G-2, SIPCOT Information Technology Park, Siruseri, Egattur Village, Kanchipuram District in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government is satisfied, that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for Information Technology/Information Technology Enabled Services sector at Kanchipuram District, Tamil Nadu on 16th June, 2007;

And whereas the Central Government has granted the approval for the change of the name of the developer from "Zansa India Limited" to "Xansa India SEZ Development Private Limited" on 2nd February, 2009 to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, sub-section (1) of Section 13, sub-section (2) of Section 53 and sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006 :—

(i) the Central Government hereby notifies the following area at G-2, SIPCOT Information Technology Park, Siruseri, Egattur Village, Kanchipuram District in the State of Tamil Nadu, comprising of the survey numbers and the area given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in hectare)
1.	Siruseri, Egattur Village	75 part	2.71
2		76 part	7.31
		Total	**10.02**

(ii) the Central Government hereby also constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	—Chairperson ex-officio
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	—Member, ex-officio
3.	Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	—Member, ex-officio
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member, ex-officio
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member, ex-officio
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance Banking Division, Government of India	—Member, ex-officio
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Tamil Nadu	—Members, ex-officio
8.	Representative of M/s. Xansa India SEZ Development Private Limited (Developer)	—Special Invitee

(iii) the Central Government hereby also appoints the day of 2009 as the date from which the above sector specific Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot/Port under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[F. No. F.- 2/75/2005-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.